संख्या:- 7/2019/874/33-1-2019-2093/17

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनाँक 18 अप्रैल, 2019**

विषय : ग्राम प्रधानों एवं सदस्यों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904, (**उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या**-1, (**सन्** 1904) **की धारा**-21 **के साथ पठित संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या**-26, **सन्** 1947) **की धारा**-96 (**क**) **के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या**-4193 **के**/33-664, **दिनांक** 27 **जुलाई**, 1966 **का अतिक्रमण करके राज्यपाल उक्त अधिनियम संख्या**-25, **सन्** 1947 **की धारा**-95 **की उपधारा**-1 **खण्ड-छ के अधीन राज्य सरकार की सभी शक्तियां**, **उत्तर प्रदेश में समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रत्यायोजित करने के निर्देश पूर्व में ही निर्गत है।**

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है ग्राम प्रधानों एवं सदस्यों **के विरूद्ध शिकायतों के संबंध में प्रचलित जांच प्रक्रिया एवं नियमों का अनुपालन नही किया जा रहा है, जिससे ग्राम प्रधानों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों का विधिपूर्वक निस्तारण नही हो पा रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्राम प्रधानों का अनावश्यक रूप से शिकायत एवं जांच के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है। ग्राम प्रधानों के विरूद्ध हो रही कार्यवाहियों के विषय में मा0 उच्च न्यायालय में विभिन्न वाद-जैसे रिट याचिका संख्या**-1942 of 2018 **फरीदा बेगम बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य**, **रिट याचिका संख्या**-20971 of 2018 **अम्बेश कुमार बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य**, **रिट याचिका संख्या**-25012 of 2018 **श्रीमती पुष्पा देवी बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य**, **रिट याचिका संख्या**-19987 of 2017 **मुद्दसर फारूकी व मो0 शाकिर बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य**, **रिट याचिका संख्या**-7990

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

of 2018 **श्रीमती शम्स कमर बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य, रिट याचिका संख्या**-28344 of 2018 **श्री रामेश्वर बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश पारित किये गये हैं। इसी प्रकार से सिविल मिस रिट पिटीशन संख्या**-36881 of 2008 **विवेकानन्द यादव बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य तथा सिविल मिस रिट पिटीशन संख्या**-37427 of 2012 **श्री नरेन्द्र कुमार बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य मे भी कतिपय दिशा निर्देश पारित किये गये हैं, जिसके परिपेक्ष्य में ग्राम प्रधानों एवं सदस्यों के विरूद्ध नियम संगत कार्यवाही संस्थित करना उपयुक्त बताया गया है। ग्राम प्रधानों के विरूद्ध प्रचलित जांच नियमावली** 1997 **में निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने के कारण जहाँ दोषी ग्राम प्रधान अनावश्यक रूप से छूट जाते हैं, वहीं निर्दोष ग्राम प्रधानों का उत्पीड़न होता है। साथ ही मा0 न्यायालयों का बहुमूल्य समय भी जाया होने के साथ-साथ शपथ-पत्र प्रस्तुत करने में शासकीय व्यय भार भी बढ़ता है। यद्यपि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (प्रधानों और सदस्यों को हटाया जाना) जांच नियमावली**, 1997 **के क्रम में शासन स्तर से शासनादेश संख्या**-3244/ 33-1-2013-3244/13, **दिनांक** 28.02.2014 **में ग्राम प्रधानों के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही एवं प्रक्रिया के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है तथापि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (प्रधानों और सदस्यों को हटाया जाना) जांच नियमावली** 1997 **के मुख्य अंश पुनः उद्धरित किये जा रहे हैं जिसका विवरण निम्नवत् है** :-

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (प्रधानों और सदस्यों का हटाया जाना)

जांच नियमावली, 1997

2- ''जांच अधिकारी'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त ऐसे अधिकारी से है, जो जिला पंचायत राज अधिकारी'' या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले किसी अन्य जिला स्तरीय अधिकारी से है।

3- **3(1)** किसी ग्राम प्रधान या सदस्य के विरूद्ध शिकायत करने वाला कोई व्यक्ति अपनी शिकायत सरकार या जिला मजिस्ट्रेट को भेज सकता है।

3(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक शिकायत के साथ उसके समर्थन में शिकायतकर्ता का अपना शपथ-पत्र और उन सभी व्यक्तियों का वह अभियोग से संबंधित तथ्यों की सूचना प्राप्त करने का दावा करता है, के नोटरी के समक्ष सत्यापित शपथ पत्र और साथ में अभियोग से संबंधित सभी दस्तावेज, जो उसके कब्जे में अथवा शक्ति में हो, संलग्न होंगे,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3(3) इस नियम के अधीन प्रत्येक शिकायत और शपथ पत्र साथ ही उसकी कोई अनुसूची या संलग्नक सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में क्रमश: अभिवचनों और शपथ पत्रों के सत्यापन के लिए दी गयी रीति में सत्यापित किए जायेगें।

3(4) परिवादी द्वारा शिकायत की और इसी प्रकार इसके हर एक संलगन्कों की तीन से अन्यून प्रतियां प्रस्तुत की जायेंगी,

3(5) किसी भी ऐसी शिकायत को ग्रहण नहीं किया जायेगा जिसमें इस नियम के पूर्ववर्ती उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया गया हो,

3(6) यदि किसी प्रधान या सदस्य के विरूद्ध कोई शिकायत किसी लोक सेवक द्वारा की जाय तो इस नियम के पूर्ववर्ती उपबन्धों में दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण करना आवश्यक नहीं होगा।

प्रारम्भिक जांच

4- 4(1) जिला मजिस्ट्रेट नियम-3 में निर्दिष्ट किसी शिकायत या रिपोर्ट की प्राप्ति पर या अन्यथा जिला पंचायत राज अधिकारी को अथवा किसी जिला स्तरीय अधिकारी को यह पता लगाने की दृष्टि से कि क्या उस विषय में औपचारिक जांच के लिए कोई प्रथमदृष्टया मामला है, प्रारम्भिक जांच करने के लिए आदेश दे सकता है।

4(2) जिला पंचायत राज अधिकारी यथासम्भव शीघ्र प्रारम्भिक जांच करेगा और इस प्रकार आदेश दिये जाने के 30 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

जांच अधिकारी

5- नियम 4 के उप नियम (2) में निर्दिष्ट रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा जहां राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की यह राय हो कि धारा 95 की उप धारा (1) के खण्ड (छ) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन किसी प्रधान या सदस्य के विरूद्ध जांच की जानी चाहिए, वहां आपके द्वारा एक आदेश के माध्यम से जांच करने के लिए जांच अधिकारी को कहा जायेगा, अर्थात की गई किसी प्रारम्भिक जांच में प्रधान प्रथमदृष्टया वित्तीय और अन्य अनियमितताओं का दोषी पाया जाय, वहाँ ऐसा प्रधान वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन नहीं करेगा और जब तक कि वह अंतिम जांच में आरोपों से मुक्त न हो जाय, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन राज्य सरकार/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त ग्राम पंचायत के तीन सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जायेगा।

प्रारम्भिक जांच के आधार पर प्रथमदृष्टया औपचारिक जांच हेतु मामला बनने पर राज्य सरकार/जिला मजिस्ट्रेट, एक आदेश द्वारा जांच करने

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के लिए प्रारम्भिक जांच करने वाले अधिकारी से भिन्न किसी जिला स्तरीय अधिकारी को नामित करेगा। शिकायत होने के दिनांक से 6 माह के अंदर सम्पूर्ण जांच कार्यवाही पूर्ण कर रिपोर्ट राज्य सरकार/ जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी जायेगी।

जांच की प्रक्रिया

6- 6(1) अभ्यारोपण का सार और नियम-3 में निर्दिष्ट शिकायत, यदि कोई हो, की एक प्रति, राज्य सरकार द्वारा जांच अधिकारी को अग्रसारित की जायेगी।

6(2) जांच अधिकारी निम्नलिखित तैयार करेगा:-

(क) आरोप के निश्चित और सुभिन्न मदों में अभ्यारोपण का सार और

(ख) आरोप के प्रत्येक मद के समर्थन में अभ्यारोपण के विवरण के साथ समस्त सुसंगत तथ्यों का विवरण और दस्तावेजों की एक सूची और साक्षियों की एक सूची संलग्न होगी जिसके/जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध किया जाना प्रस्तावित है।

6(3) जांच अधिकारी उस व्यक्ति को जिसके विरूद्ध उसे जांच करनी हो, आरोप के मदों की एक प्रति, अभ्यारोपण का विवरण और ऐसे दस्तावेजों और साक्षियों की एक सूची जिनके द्वारा आरोप के प्रत्येक मदों को सिद्ध किया जाना प्रस्तावित है, देगा या दिलवायेगा और उस व्यक्ति से एक लिखित नोटिस के द्वारा यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे समय के भीतर जैसा विनिर्दिष्ट किया जाय अपने प्रतिरक्षा में एक लिखित कथन प्रस्तुत करें और यह बताये कि वह व्यक्तिगत रूप से सुनवायी के लिए और उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए ऐसे दिन और ऐसे समय पर जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाय, इच्छुक है या नहीं।

6(4) प्रतिरक्षा के लिखित कथन की प्राप्ति पर जांच अधिकारी आरोपों के ऐसे मदों की जांच करेगा जो स्वीकार नहीं किए गये हैं, और जहां आरोप की सभी मदें प्रतिरक्षा के लिखित कथन में स्वीकार किए गये हैं, वहां जांच अधिकारी ऐसे साक्ष्यों को जिन्हें वह ठीक समझे ग्रहण करने के पश्चात् प्रत्येक आरोप पर अपने निष्कर्ष को अभिलिखित करेगा।

6(5) यदि कोई व्यक्ति जिसने अपने प्रतिरक्षा के लिखित कथन में आरोप के किसी मद को स्वीकार नहीं किया है, जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होता है तो जांच अधिकारी उससे पूछेगा कि क्या वह दोषी है या उसे कोई प्रतिरक्षा करना है और यदि वह आरोप के किसी मद का दोषी होने का

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अभिवचन करता है, जांच अधिकारी अभिवचन को अभिलिखित करेगा, अभिलेख को हस्ताक्षरित करेगा और उस पर उस व्यक्ति का हस्ताक्षर लेगा और उन आरोपों के संबंध में दोष के निष्कर्ष का अभिमत देगा।

6(6) यदि सम्बन्धित व्यक्ति विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित होने में असफल रहता है या अभिवचन करने से इन्कार या लोप करता है तो जांच अधिकारी साक्ष्य ग्रहण करेगा और यदि कोई परिवाद है तो उससे अपेक्षा करेगा कि वह उस साक्ष्य को प्रस्तुत करें जिसके द्वारा वह आरोप की मदों को साबित करने का प्रस्ताव करता है और वह मामले को 15 दिनों से अनधिक पश्चातवर्ती दिनांक के लिए, एक ऐसा आदेश अभिलिखित करने के पश्चात् स्थगित करेगा, जिसके द्वारा उक्त व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा को तैयार करने के प्रयोजन के लिए:-

(क) उप नियम (2) में निर्दिष्ट सूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों का ओदश के 5 दिन के भीतर या ऐसे अग्रतर समय के भीतर जो पांच दिन से अनधिक, जैसी जांच अधिकारी अनुमति दे, होगा, निरीक्षण करेगा,

(ख) अपनी ओर से जांच किए जाने के लिए साक्ष्यों की सूची प्रस्तुत करेगा,

(ग) आदेश के 10 दिन के भीतर या ऐसे अग्रतर समय के भीतर जो 10 दिन से अनधिक, जैसी जांच अधिकारी अनुमति दे, हो, उन दस्तावेजों की खोज या प्रस्तुति के लिए एक नोटिस देगा जो जांच के लिए सुसंगत हैं और राज्य सरकार के कब्जे में है किन्तु उप नियम (2) में निर्दिष्ट सूची में उल्लिखित नहीं है,

6(7) जिस व्यक्ति के विरूद्ध जांच की जा रही है वह अपनी ओर से मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता ले सकता है और जांच अधिकारी जांच करने में उसकी सहायता करने के लिए किसी व्यक्ति को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उप नियम के अधीन किसी विधि व्यवसायी को मुकर्रर या नियुक्त नही किया जायेगा।

6(8) यदि कोई व्यक्ति उप नियम (2) में निर्दिष्ट सूची में उल्लिखित साक्षियों के कथनों की प्रतियों की पूर्ति के लिए मौखिक रूप से या लिखित रूप में आवेदन करता है तो जांच अधिकारी उसे ऐसी प्रतियां यथासम्भव शीघ्र और किसी भी दशा में साक्षियों, जिनके द्वारा आरोप के किन्हीं मदों को साबित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

किया जाना प्रस्तावित है के परीक्षा प्रारम्भ होने के 3 दिन पूर्व से अपश्चात् प्रस्तुत करेगा।

6(9) जांच अधिकारी, दस्तावेजों की खोज या प्रस्तुत किये जाने के लिए नोटिस की प्राप्ति पर उसे या उसकी प्रतियां उस प्राधिकारी को, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेज रखे जाते हैं, ऐसे दिनांक तक जैसा ऐसी अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट किया जाय, दस्तावेजों के प्रस्तुत किये जाने के लिए अध्यपेक्षा के साथ, अग्रसारित करेगा:-

प्रतिबन्ध यह है कि जांच अधिकारी, लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से ऐसे दस्तावेजों की अध्यपेक्षा करने से इन्कार कर सकता है जो कि उसकी राय में मामले से सुसंगत न हो।

6(10) उप नियम (2) में निर्दिष्ट अध्यपेक्षा की प्राप्ति पर प्रत्येक प्राधिकारी जिसका अध्यपेक्षित दस्तावेजों पर अभिरक्षा हो वह उन्हे जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा:-

प्रतिबन्ध यह है कि यदि वह प्राधिकारी जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में अध्यपेक्षित दस्तावेज हो, उसका लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यह समाधान हो जाय कि ऐसे समस्त या किन्ही दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना लोकहित या राज्य की सुरक्षा के विरूद्ध होगा तो वह जांच अधिकारी को तद्नुसार संसूचित कर देगा और दस्तावेजों के प्रस्तुत किये जाने या खोजे जाने के लिए उसके द्वारा की गयी अध्यपेक्षा को वापस ले लेगा।

6(11) जांच के लिए नियत दिनांक को मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य, जिसके द्वारा आरोप की मदों को साबित किया जाना प्रस्तावित है, प्रस्तुत किया जायेगा, और साक्षियों को जांच अधिकारी द्वारा, या परिवादी, यदि कोई हो, के द्वारा या उसकी ओर से परीक्षित किया जाएगा और जिस व्यक्ति के विरूद्ध जांच की जा रही है, के द्वारा या उसकी ओर से प्रतिपरीक्षित किया जा सकता है। यथास्थिति, जांच अधिकारी या परिवादी द्वारा साक्षियों को किसी ऐसे बिन्दु पर पुन: परीक्षित किया गया हो परन्तु जांच अधिकारी की इजाजत के बिना किसी नये विषय पर नहीं।

6(12) जांच अधिकारी वह भी साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है जो ऐसे व्यक्ति जिसके विरूद्ध जांच की जा रही है, को दी गई सूची में सम्मिलित नहीं है या स्वयं नये साक्ष्य मांग सकता है या किसी साक्षी को दुबारा बुला सकता है और पुन: परीक्षण कर सकता है और ऐसे मामले मे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उक्त व्यक्ति, यदि मांग करे, तो प्रस्तुत किये जाने के लिए प्रस्तावित अग्रतर साक्ष्य के सूची की एक प्रति और ऐसे साक्ष्य के प्रस्तुत किये जाने के पूर्व जांच का कोई स्थगन, जिसमें स्थगन के दिन को और उस दिन को जिस दिन के लिए जांच स्थगित की गयी है छोड़कर, तीन पूर्ण दिन के लिए, पाने का हकदार होगा। जांच अधिकारी उक्त व्यक्ति को ऐसे दस्तावेजों के अभिलेख में रखने के पूर्व निरीक्षण करने का एक अवसर देगा। जांच अधिकारी उक्त व्यक्ति को नये साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति भी दे सकता है। यदि उसकी राय हो कि ऐसे साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना न्याय हित में आवश्यक है:-

टिप्पणी:- साक्ष्य में किसी कमी को पूरा करने के लिए नये साक्ष्य की अनुमति नही दी जायगी या मांग नहीं की जायगी या किसी साक्षी को दुबारा नहीं बुलाया जाएगा। ऐसे साक्ष्य की केवल तभी मांग की जा सकती है जब कि साक्ष्य, जो मूलरूप से प्रस्तुत किया गया है, में कोई अन्तर्निहित कमी या त्रुटि हो।

6(13) जब उस व्यक्ति, जिसके विरूद्ध जांच की जा रही है, के विरूद्ध आरोप की मदें साबित करने के लिए साक्ष्य बन्द कर दिया जाय तो उक्त व्यक्ति से अपना प्रतिवाद मौखिक या लिखित रूप में जैसा वह चाहें कथन करने की अपेक्षा की जायगी। यदि प्रतिरक्षा मौखिक रूप से किया जाता है तो उसे अभिलिखित किया जायगा और उक्त व्यक्ति से उस अभिलेख पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जायगी, दोनों में से प्रत्येक मामले में, प्रतिरक्षा के कथन की एक प्रति परिवादी को, यदि कोई हो, दी जायगी।

6(14) जिस व्यक्ति के विरूद्ध जांच की जा रही है, उसकी ओर से तब साक्ष्य प्रस्तुत किया जायगा। उक्त व्यक्ति अपनी ओर से अपना स्वयं परीक्षण, यदि वह ऐसा चाहता है, कर सकता है, उक्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षियों का परीक्षण तब किया जायगा और आरोप की मदों को साबित करने के लिए साक्षियों पर प्रवृत्त उपबन्धों के अनुसार जांच अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण, पुन: परीक्षा और परीक्षा का दायी होगा।

6(15) जिस व्यक्ति के विरूद्ध जांच की जा रही है, उसके द्वारा अपना मामला बन्द कर देने के पश्चात् जांच अधिकारी साधारणत: उससे उसके विरूद्ध साक्ष्य में आने वाली किन्ही परिस्थितियों को स्पष्ट करने में समर्थ बनने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य में उसके विरूद्ध आने वाली परिस्थितियों पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्वयं को परीक्षित नहीं किया, प्रश्न कर सकता है और यदि उक्त व्यक्ति ने स्वयं का परीक्षण नहीं कराया है तो प्रश्न करेगा।

6(16) जांच अधिकारी साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण के पूरा होने के पश्चात् परिवादी यदि कोई हो और यह व्यक्ति जिसके विरूद्ध जांच की जा रही है, को सुन सकता है या, यथास्थिति, उन्हे या उसे अपने-अपने मामलों का लिखित पक्षसार दाखिल करने के लिये अनुमति दे सकता है।

6(17) यदि वह व्यक्ति जिसे आरोप की मदों की एक प्रति दे दी गयी है प्रतिरक्षा का लिखित कथन इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व प्रस्तुत नहीं करता है या जांच अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित नहीं होता है या इस नियम के उपबंधों का अनुपालन करने में अन्यथा असफल रहता है या अनुपालन करने से इन्कार करता है, तो जांच अधिकारी एक पक्षीय जांच कर सकता है।

6(18) जब कभी कोई जांच अधिकारी किसी जांच में साक्ष्य के सम्पूर्ण या किसी भाग के सुने जाने और अभिलिखित किये जाने के पश्चात् उसमें अधिकारिता का प्रयोग नहीं करता है और दूसरा जांच अधिकारी उसके उत्तरवर्ती के रूप में स्थान ले लेता है तो इस प्रकार उत्तरवर्ती जांच अधिकारी अपने पूर्वाधिकारी द्वारा इस प्रकार अभिलिखित या आंशिक रूप से स्वयं अभिलिखित साक्ष्य पर कार्य कर सकता है:-

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उत्तरवर्ती जांच अधिकारी की यह राय हो कि किन्ही साक्षियों का जिनका साक्ष्य पहले ही अभिलिखित किया गया है, अग्रतर परीक्षण न्याय हित में आवश्यक है, वह किसी ऐसे साक्षी को जैसा इसमें इसके पूर्व उपबंधित किया है, पुनः बुला सकता है, उसकी परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा कर सकता है।

7- जांच की समाप्ति के पश्चात् जांच अधिकारी एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होगें:-

(क) आरोप की मदें और अभ्यारोपणों का विवरण,

(ख) उस व्यक्ति की प्रतिरक्षा जिसके विरूद्ध जांच की गयी है,

(ग) आरोप की प्रत्येक मद के संबंध में साक्ष्य का निर्धारण,

(घ) आरोप की प्रत्येक मद पर निष्कर्ष और उसके लिये कारण।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्पष्टीकरण:-यदि जांच अधिकारी की राय में जांच की कार्यवाहियां, आरोप की मूल मदों से भिन्न आरोप की कोई मद स्थापित करती है, तो वह आरोप की ऐसी मद पर अपना निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है:-

प्रतिबन्ध यह है कि आरोप की ऐसी मद पर निष्कर्षो को, जब तक कि व्यक्ति जिसके विरूद्ध जांच की गयी है ने या तो तथ्या,ंे जिन पर आरोप की ऐसी मद आधारित है को स्वीकार न कर लिया हो या आरोप की ऐसी मद जिसके विरूद्ध उसे स्वयं की प्रतिरक्षा करने का युक्तियुक्त अवसर न मिल चुका हो, अभिलिखित नही किया जायगा।

8- जांच अधिकारी, जांच के अभिलेखों को राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा:-

(क) नियम-7 के अधीन उसके द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट

(ख) उस व्यक्ति जिसके विरूद्ध जांच की गयी है, के प्रतिवाद का लिखित कथन, यदि कोई हो,

(ग) जांच के अनुक्रम के दौरान प्रस्तुत किये गये मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य,

(घ) जांच के अनुक्रम के दौरान दाखिल किया गया लिखित पक्षसार, यदि कोई हो, और

(ड.) जांच के संबंध में राज्य सरकार और जांच अधिकारी द्वारा किये गये आदेश, यदि कोई हों।

9- समान तथ्यों पर आधारित शिकायत की जांच नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप एक बार जांच हो जाने तथा जांच की कार्यवाही सम्पन्न होने के पश्चात पुन: जांच न करायी जाय।

10- ग्राम प्रधानों एवं सदस्यों के विरूद्ध विभिन्न स्तरों पर प्राप्त शिकायतों को जांच हेतु जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजा जायेगा।

ग्राम प्रधानों एवं सदस्यों के विरूद्ध जांच कार्यवाहियों में कृपया उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या व दिनांकः- तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

2- स्टाफ अफसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

4- निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ।

5- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) उत्तर प्रदेश।

6- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, पंचायत।

7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।